उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० रिवीजन वाद सं० 01/2019–20

झकसू राउत..आवेदक

बनाम

16 आना रैयत मौजा सपाहा...विपक्षी

आदेश

17.12.2021

यह रे०मि० रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे०मि० वाद सं०–20/18–19 में पारित आदेश दिनांक–10.06.19 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मौजा सपाहा के दाग सं०–313 में अपने माता पिता को वर्ष 1938 में मिली पट्टा बन्दोबस्ती जमीन के सीमांकन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में रे०मि० वाद सं०–20/18–19 दायर किया गया। उक्त वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि प्रश्नगत जमीन वनभूमि है जिसका अधिसूचना सं०–C/P.F1075/53-2413-R दिनांक–08.06.1953 है। इस न्यायालय द्वारा भी वन प्रमण्डल पदाधिकारी दुमका से जाँच प्रतिवेदन मांग गई। वन प्रमण्डल पदाधिकारी दुमका से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उल्लेख है कि मौजा सपाहा के दाग सं०–313 अधिसूचना सीमांकित वनभूमि है जिसका अधिसूचना C/PF 1075/53-2413-R दिनांक–08.06.1953 है। ऐसी स्थिति में उक्त वन भूमि में प्रधान द्वारा प्राप्त बन्दोबस्ती पट्टा के आधार पर सीमांकन की स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18/12/21

उपायुक्त,
दुमका।

18/12/21

उपायुक्त,
दुमका।

11-01-22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:36:55 +05:30
Location: 169.254.227.244